न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, एटा

उपस्थितः दिनेश चन्द, एच०जे०एस०

जे०ओ० कोड सं०– यू0 पी0 6538

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 828/2026

(C.N.R. UPET010025042026)

पुष्पेन्द्र उम्र करीब 21 वर्ष पुत्र भूदेव सिंह, निवासी जौहरपुर, थाना निधौली कलॉ, जिला एटा। –––––आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० सरकार –––––विपक्षी

मु0 अ 0 सं0–168/2023
धारा–380, 457 भा०दं०सं०
थाना–निधौली कलॉ, जिला एटा।

01.05.2026

आवेदक/अभियुक्त **पुष्पेन्द्र** की ओर से अपराध संख्या– 168/2023 धारा–380, 457 **भा0 दं0 सं0,** थाना–**निधौली कलॉ**, जिला एटा के मामले में अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उसका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है वादी जनता जू०हा० स्कूल मितरौल का कार्यवाहक प्रधानाध्यापक है। दिनांक 27.08.2023 की रात्रि को कार्यालय का ताला टूटा मिला। रसोई घर की दीवार तोड़कर सिलेंडर एच०पी० कम्पनी, चूल्हा, खाने की 25 थाली चोरी हो गये। जानकारी में आया कि चोर देवेन्द्र उर्फ छोटे, गुड्डू, पुष्पेन्द्र इन्हीं लोगों ने चोरी की है। विजय उसके पास आया, जो जौंहरपुर का रहने वाला है, उसने उससे कहा कि सिलेंडर व चूल्हा व खाने के बर्तन दिलवा देगा। अभी तक चोरी में गया सामान नहीं मिला।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्क सुने व उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क देते हुए कहा गया है कि वह निर्दोष है। उसे गांव की पार्टीबंदी के कारण झूठा फँसाया गया है। आवेदक को चोरी करते हुए किसी ने नहीं देखा है। आवेदक के कब्जे से कोई चोरी गया सामान बरामद नहीं हुआ है। आवेदक का नाम विजय सिंह के बताने पर लिखाया गया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। सहअभियुक्त देवेन्द्र की जमानत स्वीकार की जा चुकी है। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

इसके विपरीत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुये विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के स्कूल से गैस सिलेंडर व बर्तन चुराने का अपराध कारित किया है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्क सुना व उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

Digitally signed by DINESH CHAND
Date: 2026.05.01 13:01:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में अग्रिम जमानत का प्रावधान निम्न प्रकार अंकित है–

(1) जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है उसको किसी अजमानतीय अपराध के किये जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह इस धारा के अधीन निदेश के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकता है और यदि वह न्यायालय ठीक समझे तो वह निदेश दे सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाये।

(2) जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय उपधारा (1) के अधीन निदेश देता है तब वह उस विशिष्ट के के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन निदेशों में ऐसी शर्तें, जो वह ठीक समझे, सम्मिलित कर सकता है, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं–

i. यह शर्त कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा;
ii. यह शर्त कि वह व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा;
iii. यह शर्त कि वह व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुजा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
iv. ऐसी अन्य शर्तें जो धारा 480 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे अधिरोपित की जा सकती हैं मानो उस धारा के अधीन जमानत मंजूर की गई हो।

(3) यदि तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति को ऐसे अभियोग पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारण्ट के बिना गिरफ्तार किया जाता है और वह या तो गिरफ्तारी के समय या जब वह ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है तब किसी समय जमानत देने के लिए तैयार है, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा; तथा यदि ऐसे अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम बार ही वारण्ट जारी किया जाना चाहिए, तो वह उपधारा (1) के अधीन न्यायालय के निदेश के अनुरूप जमानतीय वारण्ट जारी करेगा।

(4) इस धारा की कोई बात भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65 या धारा 70 की उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध को कारित करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अंतर्वलित करने वाले किसी मामले को लागू नहीं होगी।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **श्री गुरुबक्स सिंह सिबिया व अन्य बनाम स्टेट आफ पंजाब राज्य (1980)2 सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज 565** में यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय को अग्रिम जमानत पर आदेश पारित करते समय यह निर्धारित करना चाहिए कि अपराध की गम्भीरता कितनी है और क्या अभियुक्तगण की उपस्थिति विचारण के दौरान सुनिश्चित की जा सकेगी अथवा वह मुकदमे के गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। इसके अलावा जनहित व राज्य का हित भी न्यायालय को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिद्धाराम सत्यलिंगप्पा महेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य 2011 (1) सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज 694** की विधि व्यवस्था के प्रस्तर संख्या 112 में यह भी निर्धारित किया गया है कि न्यायालय को अग्रिम जमानत निस्तारित करते समय निम्नलिखित माप दण्ड अपनाया जाना चाहिए–

1. अपराध की प्रकृति एवं उसकी गम्भीरता तथा अपराध कारित करने वाले अभियुक्तगण की भूमिका,
2. अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास तथा यदि वह किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि में जेल गया हो,
3. अभियुक्तगण के मुकदमे के विचारण के दौरान अनुपस्थित होने की सम्भावना,

4. अभियुक्तगण द्वारा पुनः ऐसे ही अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने की सम्भावना,
5. अभियुक्तगण को केवल चोट पहुँचाये जाने अथवा प्रताड़ित किये जाने हेतु गिरफ्तार किया जाना,
6. अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने से जनता के लोगों में उसका प्रभाव,
7. न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर अत्यधिक सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए,
8. अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का निस्तारण करते समय न्यायालय को दोनो तथ्यों पर विचार करना चाहिए कि विवेचना स्वतंत्र, साफ सुथरी हो और अभियुक्तगण का भी कोई उत्पीड़न या अपमान करने का आशय नहीं होना चाहिए,
9. अभियुक्तगण के द्वारा गवाहों को, अथवा वादी को कोई धमकी, उत्प्रेरणा या वचन दिये जाने की सम्भावना का भी ध्यान रखना चाहिए,
10. न्यायालय को अग्रिम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय सभी सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखना चाहिए तथा अभियोजन पक्ष के केस में यदि संदेह हो, तब जमानत दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सामान्यता अभियुक्तगण को जमानत दिया जाना चाहिए–

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा ***श्रीमती बच्ची देवी बनाम उ0प्र0 सरकार एवं एक अन्य, 2025 AHC 136034*** में यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहाँ आरोप–पत्र अभियुक्तगण की गिरफ्तारी किये बिना दाखिल किया गया है और अन्वेषण अधिकारी ने सम्पूर्ण जाँच अवधि में अभियुक्तगण को हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता अनुभव नहीं की हो अथवा अभियुक्तगण ने अन्वेषण में पूर्ण सहयोग प्रदान किया हो, ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को पुनः न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का औचित्य नहीं है तथा वह अग्रिम जमानत/संरक्षण आदेश प्राप्त करने अथवा उस पर निरन्तर लाभान्वित होने का अधिकारी होगा।

अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के स्कूल से गैस सिंलेंडर व बर्तन चुराने का अभियोग है। कथित घटना में आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। प्रकरण में कोई बरामदगी शेष नहीं है, क्योंकि केस डायरी के पर्चा संख्या 19 में विवेचक द्वारा साक्षीगण के बयान अंकित किये गये है, जिन्होंने बताया कि कथित चोरी का सामान 14–15 दिन बाद स्कूल में रखा होना पाया गया। मामले में आरोप–पत्र प्रेषित किया जा चुका है एवं अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। सहअभियुक्त देवेन्द्र उर्फ छोटे की जमानत इस न्यायालय से दिनांक 20.04.2026 को स्वीकार हो चुकी है। मामले के समस्त तथ्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये गुणदोष पर अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **पुष्पेन्द्र** की ओर से अपराध संख्या– **168/2023** धारा–**380,457 भा0 दं0 सं0,** थाना–**निधौली कलॉ**, जिला एटा के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त को रूपये बीस हजार का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान राशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के आधार पर दाखिल किये जाने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनॉकः 01.05.2026

(दिनेश चन्द)
सत्र न्यायाधीश, एटा।
JO Code UP 6538